

From-II

(For linear projects)

Office of The District Collector Jodhpur

No./Rev./2019/ 767

Dated...19/2/2020

## TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests(MOEF).Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights)Act.2006 ('FRA',for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of liner projects. it is certified that 0.0316 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Executive Engineer PHED project Division vth Jodhpur for Laying and Jointing of 400mm Dia.316m drinking water pipe line at Bhuteshwer Van Khandh Khasra No-722 Village-Banga falls with in Jurisdiction of Jodhpur Teshil (Which lies under Ward no-1 of Municipal Corporation Jodhpur) under Reorganization of Urban Water Supply Scheme Jodhpur (AFD France Funded Project) package CWTM-02.

It is Further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.0316 hectares of foerst land proposed for diversion.A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(S),Gram sabha(S),' Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as Annexure-1 to Annexure-2
- (b) The poposal for such diversion (with full details of the project and its implications. in vernacular/local language) have been placed before each concerned Municipal Coporation jodhpur. who are eligible under the FRA.
- (c) The concerned Municipal Corporation.Jodhpur.has certified that all formalities/processses under the FRA have been carried out.and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure.if any,having understood the proposed and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha/Municipal Corporaion Jodhpur is enclosed as Annexure-1
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha/ Municipal Corporation Jodhpur.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Municipal Corporation have given their consent to it;
- (f) The propose~~d~~ does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above



(Prakash Rajpurohit)  
District Collector,Jodhpur

जिला कलेक्टर  
जोधपुर



राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलेक्टर, जोधपुर  
[www.jodhpur.rajasthan.gov.in](http://www.jodhpur.rajasthan.gov.in)

दिनांक : 19/02/2020

क्रमांक:- 766

**बैठक कार्यवाही विवरण**

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) लखनऊ का पत्रांक: 8 वी/राज./08/01/2015/एफ.सी./1703 दिनांक 25.02.2015 248 दिनांक 18.06.2015 द्वारा जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था में उन्नयन हेतु बाह्य विदेशी संस्था ए.एफ.डी. के माध्यम से सी.डब्ल्यू.टी.एम.-2 के तहत भूतेश्वर वन खण्ड से मिनखानाडी के बीच 400एम.एम., 316 मीटर पाईप लाईन लगाने हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु फोरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अर्न्तगत जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग(अनुभाग-3) के पत्र क्रमांक प.6(14)प्रसु/अनु.-3/2008(2) दिनांक 14.03.2008 की अनुपालना में आज दिनांक 2012 की क्रिन्यान्विति के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी/सदस्य गण उपस्थित हुए:-

1. श्री प्रकाश राजपुरोहित जिला कलेक्टर, जोधपुर -अध्यक्ष
2. श्री डा. इन्द्रजीत भादव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर
3. श्री शारदा प्रताप सिंह उप वन संरक्षक, जोधपुर

उपरोक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.02.2020 को आहूत की गई, जिसकी बैठक कार्यवाही का विवरण जिला स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में बताया गया है कि उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी खेती आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है। उपखण्ड स्तरीय समिति ने गैर वन उद्देश्य पाईप लाईन आदि के निर्माण के लिए भूतेश्वर वन खण्ड जोधपुर के पास स्थित वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया है।

इस बैठक में जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था में उन्नयन हेतु बाह्य विदेशी संस्था ए.एफ.डी.के माध्यम से सी.डब्ल्यू.टी.एम.-2 के तहत भूतेश्वर वन खण्ड से मिनखानाडी के बीच 400 एम.एम., 316 मीटर पाईप लाईन लगाने हेतु खसरा न. 722 ग्राम-बांगा तहसील एवं जिला जोधपुर के पास प्रस्तावित वन भूमि रकबा 0.0316 हैक्टेयर के प्रत्यावर्तन हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति जोधपुर की बैठक कार्यवाही विवरण पर विचार किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जोधपुर जिले के अधीनस्थ वन क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी खेती आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि में जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था में उन्नयन हेतु बाह्य विदेशी संस्था ए.एफ.डी.के माध्यम से सी.डब्ल्यू.टी.एम.-2 के तहत भूतेश्वर वन खण्ड से मिनखानाडी के बीच 400 एम.एम., 316 मीटर पाईप लाईन लगाने हेतु खसरा न. 722 रकबा 0.0316 हैक्टेयर भूमि ग्राम-बांगा तहसील एवं जिला जोधपुर में निर्माण हेतु सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशंषा की जाती है।

उप वन संरक्षक,  
जोधपुर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद जोधपुर

जिला कलेक्टर  
जोधपुर



क्रमांक:- 766

दिनांक : 19/02/2020

### बैठक कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) लखनऊ का पत्रांक: 8 वी/राज./08/01/2015/एफ.सी./1703 दिनांक 25.02.2015 248 दिनांक 18.06.2015 द्वारा जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था में उन्नयन हेतु बाह्य विदेशी संस्था ए.एफ.डी. के माध्यम से सी.डब्ल्यू.टी.एम.-2 के तहत भूतेश्वर वन खण्ड से मिनखानाडी के बीच 400एम.एम., 316 मीटर पाईप लाईन लगाने हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु फोरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अन्तर्गत जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग(अनुभाग-3) के पत्र क्रमांक प.6(14)प्रसु/अनु.-3/2008(2) दिनांक 14.03.2008 की अनुपालना में आज दिनांक को जिला कलेक्टर जोधपुर की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रिन्यान्विति के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी/सदस्य गण उपस्थित हुए:-

1. श्री प्रकाश राजपुरोहित जिला कलेक्टर, जोधपुर -अध्यक्ष
2. श्री डा. इन्द्रजीत मादव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर
3. श्री शारदा प्रताप सिंह उप वन संरक्षक, जोधपुर

उपरोक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.02.2020 को आहूत की गई, जिसकी बैठक कार्यवाही का विवरण जिला स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में बताया गया है कि उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी खेती आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है। उपखण्ड स्तरीय समिति ने गैर वन उद्देश्य पाईप लाईन आदि के निर्माण के लिए भूतेश्वर वन खण्ड जोधपुर के पास स्थित वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया है।

इस बैठक में जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था में उन्नयन हेतु बाह्य विदेशी संस्था ए.एफ.डी.के माध्यम से सी.डब्ल्यू.टी.एम.-2 के तहत भूतेश्वर वन खण्ड से मिनखानाडी के बीच 400 एम.एम., 316 मीटर पाईप लाईन लगाने हेतु खसरा न. 722 ग्राम-बांगा तहसील एवं जिला जोधपुर के पास प्रस्तावित वन भूमि रकबा 0.0316 हैक्टेयर के प्रत्यावर्तन हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति जोधपुर की बैठक कार्यवाही विवरण पर विचार किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जोधपुर जिले के अधीनस्थ वन क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी खेती आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है।

अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि में जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था में उन्नयन हेतु बाह्य विदेशी संस्था ए.एफ.डी.के माध्यम से सी.डब्ल्यू.टी.एम.-2 के तहत भूतेश्वर वन खण्ड से मिनखानाडी के बीच 400 एम.एम., 316 मीटर पाईप लाईन लगाने हेतु खसरा न. 722 रकबा 0.0316 हैक्टेयर भूमि ग्राम-बांगा तहसील एवं जिला जोधपुर में निर्माण हेतु सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशंषा की जाती है।

उप वन संरक्षक,  
जोधपुर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद जोधपुर

जिला कलेक्टर  
जोधपुर

उप खण्ड अधिकारी स्तर की समिति की कार्यवाही

बैठक कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के प्रावधानान्तर्गत गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निविर्दिष्ट प्रक्रियान्तर्गत उपखण्ड स्तर की समिति की बैठक दिनांक 5/2/2020 को आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार सदस्यो नें भाग लिया:-

1. श्री एनुमान सिंह राठौड़

उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर

2. श्री सुनील कुमार

सहायक वन संरक्षक, जोधपुर


3. श्री सुरेश भोला


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर


4. श्री नरेश बासना


वार्ड प्रभारी, वार्ड संख्या 01, नगर निगम, जोधपुर

जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था में उन्नयन हेतु बाह्य विदेशी संस्था ए. एफ.डी.के माध्यम से सी.डब्लू.टी.एम.-2 के तहत भूतेश्वर वन खण्ड से मिनखानाडी 400 एम. एम., 316 मीटर पाईप लाईन लगाने हेतु खसरा न.722, ग्राम बागा तहसील एवं जिला जोधपुर में स्थित है। जो रक्षित वन है। जन.स्वा.अभि.विभाग के परियोजना खण्ड पंचम जोधपुर द्वारा प्रस्तावित पाईप लाईन के लिए वनभूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ, राजस्थान, जयपुर विचाराधीन है। वन भूमि पर वन अधिकार के अधिभाग के सम्बन्ध में वार्ड सभाओं में वार्ड संख्या 01 में स्थित वनभूमि के सम्बन्ध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और पाया कि वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवासी खेती आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है इसलिए गैर वन उद्देश्य अर्थात् पाईप लाईन लगाने के लिए भूतेश्वर वन खण्ड जोधपुर के पास स्थित वनभूमि के विपथन को बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
जोधपुर

  
सहायक वन संरक्षक,  
जोधपुर

  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
नगर निगम, जोधपुर

  
वार्ड प्रभारी, वार्ड संख्या 01,  
नगर निगम, जोधपुर